झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 27.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री चन्देश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0	झारखण्ड की राजधानी राँची अन्तर्गत जुडको के माध्यम से पूरे शहर में विभिन्न एजेन्सीयों यथा-एल0एन0टी0 कम्पनी, नागार्जुन कस्ट्रक्शन्स आदि कम्पनियों के द्वारा पाईप लाईन तथा सिवरेज-ड्रेनेज का कार्य विगत् दो वर्षो से कराया जा रहा है। कार्य कराये जाने के क्रम में सड़कों को खोदकर पाईप लाईन बिछाया जा रहा है, नियमानुसार पाईप लाईन बिछाने के बाद पूर्व की स्थित को एक माह के अन्दर बहाल करना है। परन्तु कार्य सम्पन्न हो जाने के बाद कई महिनों से सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर एवं दयनीय बनी हुई है। चारों ओर धुल उड़ रहा है, शहर की जनता धुल और गड्ढे के करण परेशान है। बीमार व्यक्तियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आसन के माध्यम से इस जनहित के अतिमहत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यानाकृष्ट करते हुए यह माँग करता हूँ कि सड़क को पूर्ववत् स्थिति में लाने की कार्रवाई हो।	नगर विकास एवं आवास

01.	02.	03.	04.
02-	श्री बैद्यनाथ राम स0वि0स0	भारत सरकार के पत्रांक- 57/05/2021-P & PW(B), दिनांक- 03.03.2023 तथा झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 157/वि0पे0, दिनांक- 25.08.2023 के अनुसरण में दिनांक- 22.12.2003 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में अच्छादित करते हुए नई/अंशदायी पेंशन योजना में कटौती की गई जमा राशि को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या (G.P.F. N0) में जमा नहीं की गई है, जिससे उक्त कर्मी अपने आप को असहाय महसूस करते है तथा इससे सरकार के कार्य संस्कृति पर अविश्वास उत्पन्न होता है। अतः मैं माँग करता हूँ कि चलते विधान सभा सत्र में वैसे कर्मियों का जिनकी सूची वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पास जमा करा दी गई है, पुरानी पेंशन योजना में आच्छादित करते हुए नई पेंशन योजना (NPS) में जमा राशि को सम्बन्धित कर्मियों के भविष्य निधि खाता संख्या-(G.P.F. N0) में जमा कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	वित्त
03-	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	सरकार की गरीबों/बेघरों को आवास देने की महत्वाकांक्षी योजना का अबुआ आवास योजना चल रही है। जिसके तहत् गिरिडीह जिला में सबसे अधिक लाभुक चिन्हित है। ग्रामीण विकास विभाग के गाईडलाइन के अनुसार सबसे पहले गृहविहीन, निःशक्त, विधवा, और पुरूषविहीन परिवारों को आवास की वरीयता सूची में प्राथमिकता मिलनी थी। लेकिन पंचायत स्तरीय चयन जाँच टीम की बेहतर प्रशिक्षण नहीं होने के कारण अंक सही निर्धारण नहीं होने के कारण गिरिडीह जिला में प्राथमिकता वाले लाभुक	ग्रामीण विकास

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		वरीयता सूची में निचले पायदान में चले गए है। फलतः उन्हें आवास के लिए ज्यादा प्रतीक्षा करनी होगी, जबकि उन्हें पहले पायदान पर होना चाहिए। उक्त विसंगति के कारण गिरिडीह जिला में योग्य लाभुकों में असंतोष है। अतः मैं उक्त संदर्भ में सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। ताकि गिरिडीह जिला की वरीयता सूची में अंक आवंटन में गाइडलाइंस के अनुसार सुधार हो, ताकि आकांक्षी समूह को तत्काल अबुआ आवास योजना का लाभ मिल सके।	
04-	**सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0 डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 श्रीमति दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0**	खनन कंपनियों द्वारा झारखण्ड राज्य में अधिग्रहण में कानून और नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। खनन कराने के लिए ग्रामीणों की सहमति के नाम पर कंपनियाँ फर्जी ग्रामसभा कराती हैं। मुआवजा का निर्धारण खनन शुरू करने के कई वर्षो पहले करने से विस्थापितों को मुआवजा पुराने दर पर काफी कम मिलता है। साथ ही उनकी जमीन वर्षो तक फसी रहती है। खनन में स्थानीय लोगों को 75% रोजगार को लेकर सरकार के आदेश का खुलेआम उल्लंघन कर दलालों और बिचौलियों को लगाकर बाहरी लोगों को काम पर रखा जाता है। आंदोलन के लिए मजबूर विस्थापित और स्थानीय लागों के ऊपर झूठे केस मुकदमें कर दिए जाते है। अतः मैं जल्द से जल्द राज्य विस्थापन आयोग का गठन कर विस्थापितों की इन विभिन्न समस्याओं को समाधान करने व स्थानीय लोगों को 75% रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
05-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	झारखण्ड अलग राज्य गठन के बाद गठित झारखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर बंगभाषी समुदाय को पूर्व में सभी सरकारों में स्थान दिया गया था, जबकि इस बार गठबंधन सरकार में नामांकित पदों में भाषाई अल्पसंख्यकों में बांग्लाभाषियों को नजरअंदाज करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के किसी भी पद में स्थान नहीं दिया गया है, जो राज्य में निवास करने वाले समूचे बंगभाषी समुदाय की उपेक्षा है। इसके अलावा भी बंगभाषी वर्षो से मांग कर रहे हैं कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पुनः नए सिरे से बांग्ला भाषा की पढ़ाई शुरू हो, कक्षा एक से दस तक सभी विषयों की किताबें बांग्ला में मुद्रित हो एवं बच्चों में वितरित हों, केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी सभी विद्यालयों में अन्यान्य भाषाओं की भाँति बांग्ला में भी अविलंब शिक्षा शुरू हो, बांग्ला शिक्षा को सफल बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय में बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति हो, बांग्ला एकेडमी का स्थापना हो, और द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त बांग्ला भाषा का वास्तविक रूप से कार्यान्वयन हो, इत्यादि। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि राज्य में लाखों की संख्या में निवास कर रहे बंगभाषियों के हित में उक्त मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण करवाते हुए झारखण्ड में बांग्ला एकेडमी की स्थापना करवाते हुए झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग में पूर्व की भाँति भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर बंग समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति करवायी जाय।	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

राँची,
दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-2945/वि0 स0, राँची, दिनांक- 26/02/24

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ सचिव, वित्त विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2024

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-2945/वि0 स0, राँची, दिनांक- 26/02/24.

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2024

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

26.02.24